न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 193/2011

सायल :-

1. कैलाशपुरी पुत्र हीरापुरी
जातिया-गोस्वामी, निवासी-झुझण्डा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

गैरसायलान :-

1. पारीदेवी पुत्री हीरापुरी
पत्नी छगनपुरी
जातियान-गोस्वामी, नवासी-कालाउना
तह0-बिलाडा, जिला-जोधपुर (राज.)
2. पारसी पुत्री हीरापुरी पत्नी नैनुपुरी
जाति-गोस्वामी, नि.हाल- खांगटा
तह.-भोपालगढ, जिला-जोधपुर
3. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
4. तहसीलदार, जैतारण
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 **तारीख रजू:. 17.11.2011**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 03/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि रारहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.) में सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.न. 109 रकबा -8-08, ख.नं.261 रकबा-22-12 बीघा कुल रकबा-31 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है । नकल जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 की पेश की हैं। उक्त कृषि भूमि मे सायल व गैरसायल सं 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी सं 2 का 1/4 हिस्सा है। पक्षकारान सामलाती काश्त करते है। उक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे खातेदारान के सामलाती दर्ज है जिसका कानूनन बाईमिटस् एण्ड बउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा हैं। उक्त कृषि भूमि को काबिल काश्त करने हेतु एवं खाद बीज हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकता न ही अपने हिस्से की भूमि पर कुआ खुदवाकर विद्युत कनेक्शन ले सकता हैं। सायल अपने हिस्से की भूमि से ऋण लेने हेतु कागजो पर गैरसायलान् को हस्ताक्षर करने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया व वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के कानूनन बंटवाडा हेतु दिनांक 15/11/2011 को गैरसायलान को कहा, तो उन्होने बंटवाडा करने हेतु स्पष्ट इन्कार किया इतना ही नही सायल को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की तथा गैरसायल सं 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि को किसी अजनबी केता को बचान हस्तान्तरण करने की भी धमकी दी। यदि गैरसायल सं 1 से 2 व प्रतिवादी सं 3 से 6 उक्त कृत्य मे सफल हो जाते हैं, तो सायल अपने अधिकारों से महरूम होगा व उसे असीम हानी होगी तथा अजनबी केता बिना बंटवाडे उक्त भूमि मै प्रवेश करेगा व अपनी मनचाही भूमि पर कब्जा करेगा, जिससे पक्षकारान के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिए उक्त कृत्यो को रोकने हेतु सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध बंटवाडा अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद व यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। सामलाती कृषि भूमि के खातेदार को बिना बंटवाडा करवाये किसी अन्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमि को जब तक न्यायालय से कानूनन बंटवाडा न हो बेचान हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। ऐसी मंशा माननीय राजस्व मण्डल व सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्तो से भी स्पष्ट है तथा एक अजनबी केता को बिना बंटवाडा करवाये भूमि मे प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु सायल ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान् के पेश हैं। वाद / प्रार्थना पत्र मे वर्णित सामलाती भूमि को गैरसायल सं 1 व 2 किसी अन्य व्यक्ति को बेचान रजिस्ट्री दस्तावेज गैरसायल सं 3 के समक्ष पेश करें, तो उसका पंजीयन नही करे तथा दौराने प्रार्थना पत्र पंजियन कर देवे तो गैरसायल सं 4 तहसीलदार केता के पक्ष मे म्युटेशन पारित नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। सायल के स्वयम् के शपथ पत्र व दस्तावेजात व मौके पर कब्जा के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला सायल के पक्ष मे बखूबी साबित है तथा गैरसायल सं 1 व 2 बिना बंटवाडा करवाये किसी अजनबी केता के पक्ष मे बेचान हस्तान्तरण आदि कर दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी सायल को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी व विविध प्रकार की पेचिदगियां पैदा होगी, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी, जिसको रोकने हेतु सायल के पक्ष मे व गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है क्योकि प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अवर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दु सायल के पक्ष मे बखूबी साबित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17/11/2011 को जारी की गई थी। वकील गै0सा0 को जबाब पेश हो चुका हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। गै0सा0 को उक्त विवादित आराजी की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व उक्त भूमि का बेचान, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि एवं अन्य किसी को नहीं करने बाबत् जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सायल विरूद्ध गै0सा0 इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.) में सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.न. 109 रकबा -8-08, ख.नं.261 रकबा-22-12 बीघा कुल रकबा-31 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में गै0सा0 को उक्त विवादित आराजी की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व उक्त भूमि का बेचान, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि एवं अन्य किसी को नहीं करने बाबत् जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाने के आदेश दिनांक 17/11/2011 को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner